बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक–जै0प्रो0को0(योजना) 62/2018 1812 /कृ0, पटना,दिनांक 29-3-/2019

आदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018–1382, दिनांक–09.03.2019 द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राज्य स्कीम मद से पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा को 700 (सात सौ) भौतिक लक्ष्य के अनुरूप 35.00 लाख (पैंतीस लाख) रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में आवंटन आदेश सं0–03/कृ0 बजट–आवंटन–40/2018–104 (आवंटन), दिनांक–16.03.2019 द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा को 35.00 लाख (पैंतीस लाख) रू0 आवंटित किया गया था जिसे जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपने पत्रांक–555, दिनांक–23.03.2019 द्वारा प्रत्यार्पित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा अपने पत्रांक–703, दिनांक–20.03.2019 द्वारा पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण कार्यक्रम में सामान्य मद में अतिरिक्त 400 (चार सौ) इकाई के लिए 20.00 लाख (बीस लाख) रू0 स्वीकृति की मॉग की गई है। कृषि निदेशक मद में व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम में 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रू0 अतिरिक्त राशि की आवश्यकता बतायी गयी है।

उक्त प्रत्यार्पण एवं मॉग के आलोक में वर्ष 2018–19 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत स्वीकृत्यादेश में निहित निदेश एवं कंडिका 13 के आलोक में पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रत्यार्पित राशि में से जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय को 400 (चार सौ) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए सामान्य मद में 20.00 लाख रू0 एवं कृषि निदेशक को व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई कार्यक्रम में सामान्य मद में 09.38228 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार दो सौ अठाईस) रू0, अनुसूचित जाति मद में 5.60 लाख (पॉच लाख साठ हजार) रू0 एवं अनुसूचित जनजाति मद में 0.01772 लाख (एक हजार सात सौ बहत्तर) रू0 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाऐं एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

उपर्युक्त पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/- 28.3.19

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1812 /कृ0, पटना दिनांक 29-3-.2019

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जै0प्रो0को0 (योजना)–62/2018 1812 /कृ0, पटना दिनांक 29-3-.2019

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जैoप्रोoकोo (योजना)–62/2018 1812 /कृ0, पटना दिनांक 29-3-2019

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdiuder
28.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जैoप्रोoकोo (योजना)–62/2018 1812 /कृ0, पटना दिनांक 29-3-2019

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdiuder
28.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – जैoप्रोoकोo (योजना)–62/2018 1812 /कृ0, पटना दिनांक 29-3-2019

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

Rdiuder
28.3.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।